**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3554**

**03.04.2017 को उत्तर के लिए**

**जलवायु पर एयरोसौल्ज का प्रभाव**

**3554. श्री बी. के. हरिप्रसाद:**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिकों के अनुसार विगत दशक में देश में एयरोसौल्ज के प्रयोग में तेजी से आर्इ वृद्धि से जलवायु नाटकीय रूप से बदल रही है तथा सीटीसी नामक पदार्थ, जो कि ओजोन की परत को भारी नुकसान पहुंचाने वाला एक पदार्थ है, का अब भी व्यापक रूप से सोल्वेंट के रूप में उपयोग हो रहा है और वास्तव में अधिकतर अन्य देशों में इसके उपयोग पर रोक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) और (ख) जी, नहीं। ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार, क्‍लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) के प्रयोग से एयरोसौल उत्‍पादों का‍ विनिर्माण, औषधीय प्रयोजनों के लिए मीटरड डोज़ इनहेल्‍रों को छोड़कर, दिनांक 1.1.2003 से चरणबद्ध रुप से बंद कर दिया गया है। देश में सभी क्षेत्रों में सीएफसी का उत्‍पादन और उपयोग वर्ष 2010 से चरणबद्ध रुप से बंद कर दिया गया है। कार्बन टेट्राक्‍लोराईड (सीटीसी) का उत्‍पादन और उपयोग भी सोल्‍वेंट क्षेत्र सहित वर्ष 2010 से चरणबद्ध रुप से बंद कर दिया गया है। देश में सीएफसी और सीटीसी के प्रयोग को मांट्रियल प्रोटोकॉल अनुपालन अनुसूची के अनुसार चरणबद्ध रुप से बंद किया गया है।

\*\*\*\*\*